

## सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

### वित्तीय सेवा कार्यकारी की परियुक्ति 2011-2012

क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निगम के विभिन्न कार्यालयों में वर्ष 2011-2012 में परियुक्ति हेतु अनुबन्ध के आधार पर 3 वर्षों (अनुबन्ध का नवीनिकरन व्यवसायिक प्रदर्शन पर आधारित) के लिए लगभग 15 वित्तीय सेवा कार्यकारियों की प्रस्तावित परियुक्ति के लिए विवरण इस प्रकार है-

मं.का.का नाम	अनुमानित पदों की संख्या				
	सामान्य	अनु.जा.	अनु.जन.जा.	पिछडा वर्ग	कुल
जबलपुर	4	1	4	1	10
सतना	-	-	2	-	2
शहडोल	-	2	1	-	3
<b>मध्य क्षेत्र</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

**कार्य आवश्यकता-** यह मुख्यतः विपणन कार्य है। वित्तीय सेवा कार्यकारी आवंटित केन्द्र अथवा बैंक शाखा से नव व्यवसाय प्राप्त करने के लिए, पॉलिसी सेवा देने तथा इससे सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रत्यक्षतः जिम्मेदार होगा। वे समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य निर्देशों को भी कार्यावित करेंगे। इस उद्देश्य के लिए उन्हें विशेष गतिविधियाँ जिसमें आवंटित पूरे क्षेत्र के दौरे सम्मिलित हैं, करनी होंगी।

#### 1. पात्रता हेतु शर्तें:

**क. योग्यता** - आवेदक के पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से जो विधिक रूप से स्थापित हो, से स्नातक डिग्री प्राप्त होना चाहिए। उन आवेदकों को जिनके पास विपणन/ प्रबन्धन में डिप्लोमा/ स्नातक डिग्री है, को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी एवं एक प्रादेशिक भाषा, स्थानीय भाषा अधिमान्य का अच्छा व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय है। सुलभ कौशल जैसे पावर प्वाइंट/ वर्ड/ एक्सेल का ज्ञान अतिरिक्त श्रेष्ठता होगी।

**ख. आयु-** i) आवेदक ने दिनांक 01/10/2011 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक न हो।

ii) दिनांक 01/10/2011 को आवेदक की अधिकतम आयु सीमा नीचे उल्लिखित समूह में दी गई आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए

क्र.	वर्ग	आयु सीमा वर्षों में
(1)	(2)	(3)
1.	अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का सदस्य	40
2.	पिछडे वर्ग का सदस्य (क्रीमी लेयर के अलावा)	38
3.	भूतपूर्व सैनिक	35, अधिकतम सीमा सेना में दी सेवा वर्षों के अधीन होगी। जहाँ वह पि.वर्ग का सदस्य है 45 वर्ष, जहाँ वह अनु.जाति /अनु.जन जाति का सदस्य है 47 वर्ष, पि.वर्ग, अनु.जाति /अनु.जन जाति के अलावा 42 वर्ष।

2. **चयन प्रक्रिया**- यदि आवश्यक हुआ तो लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा जिसके बाद जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेंगे, उनका साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें तर्क-वितर्क, संख्यात्मक योग्यता तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा सम्मिलित है। यदि लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसकी तिथि तथा स्थान की सूचना योग्य आवेदकों को अलग से दी जाएगी।

3. चयनित उम्मीदवार को परियुक्ति अवधि के दौरान व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर किसी भी स्थान पर आवंटित किया जा सकता है।

4. चयनित उम्मीदवार को सैद्धांतिक प्रशिक्षण लेना होगा, बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा को पास करनी होगी और जीवन बीमा व्यवसाय पाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद यदि उम्मीदवार को योजना के अनुसार चयन के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो निगम द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन वित्तीय सेवा कार्यकारी के रूप में अनुबन्ध के आधार पर परियुक्त हो सकता है।

5. वित्तीय सेवा कार्यकारी को हर माह निश्चित राशि (प्रथम वर्ष रु. 10000/-, द्वितीय वर्ष रु. 11300/- एवम तृतीय वर्ष 12700/- और वार्षिक निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि अदा की जाएगी।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय सेवा कार्यकारी के रूप में चयन, परियुक्त प्रत्याशी को निगम में स्थाई कर्मचारी के रूप में कोई अधिकार नहीं देता है।

7. **साक्षात्कार**- लिखित परीक्षा (यदि आयोजित होती है) में सफल अभ्यर्थी या योग्य अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। निगम परियुक्त होने वाले वित्तीय सेवा कार्यकारी की संख्या के साथ लिखित परीक्षा और/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अनुपातिक संख्या पर अपना अधिकार सुरक्षित रखता है और इस सम्बन्ध में निगम का निर्णय अंतिम होगा। इस सम्बन्ध में पत्राचार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। निगम द्वारा इसके लिए अधिकृत स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा परीक्षण के उपरांत स्वस्थ पाए जाने के बाद ही चयनित अभ्यर्थी को वित्तीय सेवा कार्यकारी के रूप में परियुक्त किया जाएगा।

#### **टिप्पणी:**

1. अभ्यर्थी द्वारा जिस मण्डल कार्यालय के लिए आवेदन किया है उसके अंतर्गत ही परीक्षा केन्द्र का चयन किया जा सकता है।

2. किसी भी परिस्थिति में चयनित परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। निगम अपने कार्य स्वाधीनता के आधार पर किसी परीक्षा केन्द्र को बढा या घटा सकने तथा परीक्षा तिथि परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. **आवेदन कैसे करें**- जो अभ्यर्थी दिनांक **01/10/2011** को पात्रता शर्तें पूरी करते हों, अपना आवेदन नीचे दिए गए प्रारूप में या तो स्पष्ट बड़े अक्षरों में हाथ से भरकर अथवा फुलस्केप पेपर में टाइप किया हुआ जमा करें। आवेदन उचित रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन के साथ निम्न संलग्न होना चाहिए-

1. आवेदन शुल्क के रूप में "भारतीय जीवन बीमा निगम" के पक्ष में सम्बन्धित मंडल कार्यालय के नाम पर देय रु. 100/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

2. अनु.जाति/अनु.जन जाति के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति।

3. शैक्षणिक योग्यता और आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति।

4. भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में विमुक्ति-प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में अर्हता प्राप्त करने के उपरांत क्रमांक 2, 3, 4 में निर्दिष्ट मद की मूल प्रतियाँ तथा फोटोप्रति का एक सेट साक्षात्कार के समय जाँच के लिए तैयार रखें।

**9. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)-** अनु.जाति तथा अनु.जनजाति वर्ग को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए : आवेदन शुल्क **रु 100/-** सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट (6 माह के लिए वैध) द्वारा "भारतीय जीवन बीमा निगम" के पक्ष में सम्बन्धित मंडल कार्यालय के नाम ही अदा किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी का नाम तथा जन्मतिथि डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखी होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 09/11/2011** है।

आवेदन पत्र सभी संलग्नकों के साथ पूर्णतया भरा हुआ एक बन्द लिफाफे में जिसके कवर में "वित्तीय सेवा कार्यकारी की नियुक्ति \_\_\_\_\_ मण्डल" शीर्षांकित हो को निम्न पते पर भेजा जाना चाहिए।

**वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक ,**  
**भारतीय जीवन बीमा निगम,**  
**मंडल कार्यालय \_\_\_\_\_**

#### **10. सामान्य निर्देश-**

**क)** अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी अर्हता शर्तों को संतुष्ट करते हैं। जो अभ्यर्थी अर्हता शर्तों को संतुष्ट नहीं करते वे चयन के किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित किए जाने के लिए जिम्मेदार हैं।

**ख)** डाकघर से सम्बन्धित हुई किसी क्षति या आवेदन पत्र प्राप्त होने में किसी तरह के विलम्ब के लिए निगम जिम्मेदारी नहीं लेता है।

**ग)** अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित आवेदन अथवा आवेदन शुल्क ,जहाँ लागू है ,के डिमाण्ड ड्राफ्ट के बिना या निर्धारित प्रारूप में आवेदन न होने पर अथवा अनु. जाति /अनु.जन जाति के आवेदकों के मामले में जाति प्रमाण-पत्र के न होने पर उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

**घ)** आवेदन शुल्क एक बार अदा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही भविष्य की भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा। योग्य आवेदकों को परीक्षा केन्द्र तथा नियत परीक्षा तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी।

**ङ)** अर्हता ,परीक्षा आयोजन,अन्य परीक्षाओं,साक्षात्कार,चयन और आवंटन से सम्बन्धित सभी मामले में निगम का निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन या पत्राचार पर निगम द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

**च)** निगम द्वारा एक मण्डल और/या विभिन्न मण्डलों के लिए और/या विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में हमारी पंजिका में उस आवेदक के प्रथम आवेदन की प्रविष्टि को ही उसका आवेदन माना जाएगा और उसके सभी अन्य आवेदनों को अमान्य माना जाएगा। किसी भी संशय या विवाद की दशा में क्षेत्रीय प्रबन्धक का निर्णय अंतिम और सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होगा।

**छ)** किसी भी तरह का अनुयाचन अयोग्यता मानी जाएगी।

**क्षेत्रीय प्रबन्धक**

**दिनांक: 25/10/2011**



**9. विक्रय अनुभव:**

समयावधि  
से तक

संस्थान का नाम

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**10. क्या भारतीय जीवन बीम निगम के किसी अभिकर्ता/कर्मचारी/अधिकारी/चिकित्सा परीक्षक से कोई सम्बन्ध है? कृपया विवरण दें:**

अ) नाम \_\_\_\_\_ ब) पद \_\_\_\_\_  
स) पदस्थापना \_\_\_\_\_ द) सम्बन्ध \_\_\_\_\_

**11. मातृ भाषा \_\_\_\_\_ अन्य भाषाओं का ज्ञान \_\_\_\_\_**

**12. आवेदन के संलग्नक:**

मैं आवेदन फार्म तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निम्न दस्तावेजों की फोटोप्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ :

क) जन्म तिथि दर्शाता हुआ हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी/नगर पालिका का जन्म प्रमाण पत्र:

ख) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र:

ग) अनु.जाति/अनु.जन जाति/पिछड़ा वर्ग के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और

घ) भूतपूर्व सैनिक के मामले में विमुक्ति-प्रमाण पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने निगम के साथ वित्तीय सेवा कार्यकारी के लिए एक ही आवेदन किया है और परियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने बहु आवेदन किया है तो मेरी परियुक्ति को बिना कारण बताए समाप्त कर दिया जाए ।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण सत्य हैं और मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं । मैं यह समझता हूँ कि यदि कोई जानकारी आवेदित पद के लिए असत्य या गलत पाए जाने पर या निर्धारित मानदण्डों को संतुष्ट नहीं करने पर मेरी उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या निगम के साथ अनुबन्धित अवधि के दौरान कभी भी निरस्त/अस्वीकृति की जा सकती है । मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि सभी मामलों में निगम का निर्णय अंतिम एवं मुझ पर बाध्यकारी होगा ।

स्थान:

दिनांक:

( आवेदक के हस्ताक्षर)